रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शक्रवार, 15 जुलाई, 1983/24 आषाढ़, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 जून, 1983

संख्या-जी०ए० डी०-(जी०आ ई०)-6(एफ)-4/78.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला जिला के डोडरा-क्वार क्षेत्र पटवार वृत के लिए डोडरा क्वार तहसील जिसका मुख्यालय क्वार में होगा के सृजन करने का तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
केशव चन्द्र पांडेय,
मुख्य सचिव।

1317-राजपत्र/83-15-7-83—1,145.

मूल्य : 20 पैसे।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जून, 1983

संख्या गृह (ए)-7(जी)-19/75-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए)-7(जी)-19/75-II दिनांक 23-11-1982 जोकि राजपत्र हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण) दिनांक 4-12-82 में प्रकाशित हुई थी के संदर्भ में तथा मेनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटीलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम, की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्पाल, हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना गृह (ए)-7(जी)-19/75-II दिनांक 7 अगस्त, 1981 जोकि राजपत्र हिमाचल प्रदेश के दिनांक 29 अगस्त, 1981 के अंक में प्रकाशित हुई थी द्वारा परिभाषित क्षेत्र में फील्ड तथा आरटीलरी प्रैक्टिस को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय में सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

अगस्त, 1983	सितम्बर, 1983	दिसम्बर, 1983
02 से 04 तक	05 से 08 तक	15 से 16 तक
10 से 12 तक	12 से 14 तक	19 से 22 तक
16 से 19 तक	19 से 22 तक	26 से 28 तक
24 से 26 तक	26 से 27 तक	
जनवरी, 1984	**फरवरी, 1984**	**मार्च, 1984**
02 से 04 तक	02 से 04 तक	01 से 03 तक
06 से 07 तक	06 से 08 तक	06 से 09 तक
10 से 13 तक	10 से 11 तक	12 से 15 तक
17 से 20 तक	14 से 17 तक	20 से 22 तक
24 से 25 तक	20 से 23 तक	
मई, 1984	**जून, 1984**	
01 से 03 तक	04 से 06 तक	
08 से 11 तक	11 से 13 तक	
15 से 17 तक	18 से 21 तक	
21 से 24 तक	25 से 28 तक	

के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 1 जुलाई, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-94/79.—क्योंकि ग्राम पंचायत बिलासपुर, विकास खण्ड नगरोटा-सूरियां, जिला कांगड़ा के आंकेक्षण करने पर श्री राम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत के विरुद्ध निम्नलिखित रूपेण गम्भीर

अनियमितताएं पाई गई हैं:—

1. गत आंकेक्षण पत्र में पाई गई आपत्तियों का समाधान न करना।
2. बाउचर नं0 48, दिनांक 24-3-83, जो पंचायत घर मुरम्मत हेतु तैयार किया गया जाली लगता है। क्योंकि 1983 में पंचायत घर मुरम्मत का कोई काम नहीं हुआ है।
3. बाउचर नं0 32, 35, 36 व 37, दिनांक 24-3-83 श्री उतमी चन्द के लिखित व्यानानुसार बावड़ी निर्माण ग्राम जलख हेतु उसने कम सामग्री कम दर से तथा कम राशि प्राप्त की है, जबकि वह अनपढ़ होने के नाते हस्ताक्षर अधिक दर पर कर गया है, जिससे उसे मु0 635.50 रुपये अधिक अदायगी दिखा कर इस राशि का आपरण हुआ है।
4. रसीद संख्या 9, दिनांक 19-9-80 श्री चूहड़ू राम के व्यान अनुसार स्कूल भवन ठम्बा के निर्माण में मिस्त्री का कार्य 6 दिन 15 की दर से किया है, जबकि रसीद पर मु0 135 की राशि अंकित की है। इस प्रकार मु0 45 का गबन हुआ है।
5. बाउचर नं0 10, 11, 7 तथा 12 के अनुसार श्री लीवड़ को मु0 180 रुपये की जाली अदायगी की गई है, जबकि इस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया है।
6. प्रायमरी स्कूल भवन ठम्बा के बरामदे के निर्माण के कार्य पर मु0 1748.85 रुपये व्यय दिखाया गया है। इस कार्य हेतु मु0 1750 विकास विभाग से स्वीकृत हुआ है। श्री बाल सिंह के कथनानुसार इस कार्य पर 1746 रुपये व्यय हुआ है परन्तु इस कार्य का मूल्यांकन 2 बार मु0 1900 रुपये तथा 2803.2 रुपये किया गया है। इस पर व्यय राशियों की अदायगियों की रसीद संख्या 4, 5, 6 व 8 संदिग्ध है।
7. श्री बाल सिंह के व्यान अनुसार रसीद संख्या 3 व 1 पर क्रमशः 35/1 व 60 अधिक अदायगी की गई है।
8. ठम्बा स्कूल के बरामदा निर्माण पर श्री भगवान सिंह के अनुसार रसीद पर उसके हस्ताक्षर जाली हैं और मु0 250 के बजाए उसने दरवाज़ों की लकड़ी की कीमत मु0 150 ही प्राप्त किए हैं और इस प्रकार मु0 100 अधिक व्यय दिखाया गया है।
9. श्रीमती मोहीं देवी बेवा बेता राम को किराया नकद न देकर दवाइयों के रूप में देना।
10. मु0 372.49 रुपये नकद शेष में प्रधान के पास रखना जिसके मस्ट्रोल अंकेक्षण समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किए गए, जिससे इस राशि का गबन का संदेह है। मस्ट्रोलों पर दैनिकी हाजरी के योग नहीं दिए गए और बिना कनिष्ट अभियंता की पैमाइश रिपोर्ट तथा बिना स्वीकृति के अधिक व्यय करना।
11. प्राथमिक पाठशाला ठम्बा भवन निर्माण पर मु0 4524.90 रुपये के स्थान पर रोकड़ में 6494.85 दिखाकर मु0 1969.95 रुपये का गबन पाया गया।
12. खाली कागज पर रसीद लेकर यह संदेह पाया गया कि इस प्रकार साधारण व्यक्ति से लाभ उठाकर मन-मानी राशि की रसीद लिख कर रिकार्ड में रखी जाती है।
13. कार्यवाही पुस्तिका में बैठक की कार्यवाही अवैध रूप से प्रधान द्वारा स्वयं लिखना।
14. प्रधान द्वारा भारी मात्रा में समय-समय पर नकद शेष रखना।
15. स्कूल भवन जलख हेतु 740 की ईंटों को स्टौक बुक से अनियमित खारिज किया गया है। जबकि ये ईंटें समय पर प्रयुक्त होनी चाहिए और यदि स्टौक पुस्तक से खारिज की थी तो उस पर व्यय राशि की भी विहित प्राधिकारी से खारिज करने की स्वीकृति लेनी चाहिए थी।
16. रोकड़ पृ0 5 पर दिनांक 3-11-81 को मु0 164.50 व्यय माननीय राजस्व मन्त्री के आगमन पर व्यय नियमानुसार अनाधिकृत है।
17. रोकड़ पृ0 5, दिनांक 30-11-81 के अनुसार मु0 160 जो सीमेंट उठाने की मज़दूरी खच्चर दी गई थी, गलत है जबकि सीमेंट नहीं लाया गया है।

18. खण्ड कार्यालय स्कूल भवन जलख के निर्माण हेतु मु0 8375 पंचायत को दे दिए हैं, जबकि भवन का कार्य नीचे से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

19. दिनांक 24-3-83 को 30 बैग क्य सीमेंट का प्रमाण स्टौक सूचि में नहीं दिखाया गया है।

और क्योंकि उक्त प्रधान को उपरोक्त आरोपों की गम्भीरता के दृष्टिगत उनके पद पर रखना जनहितार्थ नहीं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री राम सिंह को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलासपुर के प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस सम्बन्ध में ज़िलाधीश, कांगड़ा के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित इस विभाग को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, किन्नौर ज़िला, कल्पा

कार्यालय आदेश

कल्पा, 25 जून, 1983

संख्या कनर-433/74.—उप-संभागीय अधिकारी (ना), विकास खण्ड निचार, ज़िला किन्नौर तथा उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, रामणी, विकास खण्ड निचार से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें लिखा था कि श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी, विकास खण्ड निचार, ज़िला किन्नौर ने मु0 9154.65 पैसे सभा फण्ड का दुरुपयोग किया था, इलावा इसके उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी ने यह भी रिपोर्ट की थी, कि श्री इन्द्रसैन ने मु0 4,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी मास 1982 में रामणी पचायत, राज्य में परिवार नियोजन कार्य में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार प्राप्त किया का कोई भी पता पंचायत को नहीं दिया तथा न ही पंचायत रोकड़ में इन्द्राज करवाया, इस प्रकार श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी ने उपरोक्त राशियों का दुरुपयोग किया है।

अतः श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी को इस कार्यालय के पत्र संख्या-कनर-433/74, दिनांक 28-7-82 को कारण बताओ नोटिस दिया था कि क्यों न श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(1) के अन्तर्गत कायवाही की जाए। श्री इन्द्रसैन का उत्तर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था तथा उस उत्तर की प्रारम्भिक जांच के लिए उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), निचार को आदेश जारी किए थे।

क्योंकि अब उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), निचार से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), निचार की जांच रिपोर्ट को विचारने पर यह सिद्ध होता है कि श्री इन्द्रसैन, प्रधान ने सभा फण्ड के मु0 9154.65 पैसे तथा इनाम के मु0 4,000 रुपये का दुरुपयोग किया है तथा श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी को प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है।

अतः मैं विवेक श्रीवास्तवा, उपायुक्त, किन्नौर श्री इन्द्रसैन, प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत तत्काल उनके पास पंचायत की सम्पति चल व अचल नकद या अन्य रूप में जो भी हो शीघ्र आदेश मिलते ही उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रामणी को हस्तान्तरित करें तथा श्री इन्द्रसैन, प्रधान (निलिम्बत) इस आदेश की प्राप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

विवेक श्रीवास्तवा,
उपायुक्त।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।